कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्यमिक/छा.प्रो.प्र./अ-1/विज्ञप्ति/2016-17/ दिनांक :- 27/7/2016

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य में स्थित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय (निजी) विद्यालयों , पंजीकृत मदरसों , संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों इत्यादि में सत्र 2016–17 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए ऑनलाईन आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप वेब पोर्टल NSP 2.0 of Government of India (URL www.scholarship.gov.in) पर आमंत्रित किये जाते हैं।

क. सं.	छात्रवृत्ति का नाम	छात्रवृत्ति हेतु पात्रता	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि
1	पूर्व मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति	1. उपरोक्त वर्णित विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत विद्यार्थी जो कि अल्पसंख्यक समुदायों से हों। 2. माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये एक लाख से अधिक न हो। 3. विद्यार्थी द्वारा गत वर्ष की परीक्षा 50 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो। 4. एक परिवार से अधिकतम दो विद्यार्थियों द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है।	31.08.2016
2	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति	1. उपरोक्त वर्णित विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति से हों। 2. माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये दो लाख से अधिक न हो। 3. विद्यार्थी अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति नहीं ले रहा हो।	15.08.2016
3	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति	1. उपरोक्त वर्णित विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति से हों। 2. माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये दो लाख से अधिक न हो। 3. विद्यार्थी अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृत्ति नहीं ले रहा हो।	15.08.2016

उपरोक्त छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शिक्षा विभागीय वेबसाईट shiksha.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

विशेष :– 1. इस वर्ष समस्त छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में ही डीबीटी द्वारा प्रदान की जावेंगी। इसलिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थी स्वयं के बैंक खाते से अपना आधार नंबर लिंक करवा लेवें। इसके लिए उन्हें अपनी बैंक शाखा से सम्पर्क करना होगा।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा ,राजस्थान
बीकानेर